रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255568
CG-DL-E-19072024-255568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946
No. 381] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली,18 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 418(अ).—निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 में संशोधन करने हेतु जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता और अन्य हितधारकों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप से डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या diriapolicy-moefcc@nic.in पर ऐसा कर सकता है।

का. आ.....(अ)-पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा:

(1) खंड (कक) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा:

(ककक) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 15ग के अंतर्गत नियुक्त/अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(2) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे:

(गग) "निधि" से अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत परिभाषित पर्यावरण संरक्षण निधि अभिप्रेत है;

(गगग) "निधि प्रशासक" से नियम 10त के अधीन निधि के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय बैंक अभिप्रेत है;

(3) खंड (ड.ड.) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा:

(ड.ड.ड.) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का तात्पर्य" परिशिष्ट-ख के अनुसार अधिकारियों (या) उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से है जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन (या) उल्लंघन का संज्ञान लेते हैं और संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष मामले को आरंभ करते हैं और प्रस्तुत करते हैं।"

(4) उपनियम (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम तथा उक्त नियमों में, जैसा भी मामला हो, दिया गया है।"

3. नियम 4 में, उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(7) ऐसे मामले में, जहां केंद्र सरकार की राय है कि पर्यावरण को गंभीर क्षति की संभावना है, केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) (या) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) (या) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दी गई सहमति को रद्द करने का निदेश दे सकती है।"

4. नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"नियम 10क. अधिनियम की धारा 15ग के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति

1) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव (या) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे स्तर का न हो, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए *पदेन* न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।

2) केंद्र सरकार (i) केंद्रीय स्तर पर न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो, और (ii) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, या तो स्वयं द्वारा या संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिखित अनुरोध पर, एक से अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे न हो, नियुक्त कर सकती है।

3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी स्थिति हो, द्वारा अपेक्षित कार्मिक सहायता, कार्यालय स्थान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम 10ख. अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत मामलों का संज्ञान और उन पर कार्रवाई

1) कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निदेशों के किसी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का तब तक संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि ऐसा मामला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ, या तो स्वप्रेरणा से या परिशिष्ट क के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र VI में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आरंभ न किया गया हो।

2) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के अनुसार मामले को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष, उसमें उल्लिखित क्षेत्राधिकार के अनुसार, प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट -ख में दी गई है ।

3) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, नियम 10ख(1) के अंतर्गत मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करने से पहले, उचित तत्परता बरतते हुए उस पर कार्रवाई करेगा, ताकि उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड में लाया जा सके, जिन्हें जुर्माना लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उस मामले पर न्यायनिर्णयन आवश्यक है।

नियम 10ग. अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का तरीका

1) किसी मामले की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध गैर-अनुपालन या उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसके विरुद्ध मामले के विवरण के साथ गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, परिशिष्ट क के तहत यथा निर्धारित प्रपत्र VII में नोटिस जारी करेगा, और ऐसा व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, निर्दिष्ट तिथि को, जो उस पर प्राप्त नोटिस की तारीख से 15 दिनों से कम नहीं होगी और 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, उपस्थित हो सकता है।

2) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को, वह व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

3) उप-नियम (2) के अधीन, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि आरोपों को स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश में प्रतिवादी की ऐसी स्वीकारोक्ति के साथ-साथ लगाए गए जुर्माने की मात्रा को ऐसे प्रारूप में बताएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और आदेश की एक प्रति संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को भी भेजेगा जिसने मामला दर्ज कराया है, यदि लागू हो।

4) उप-नियम (3) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच के लिए तारीख तय करेगा और मामले के प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

5) निर्धारित तिथि को न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे।

6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (5) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में असफल रहता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्रवाई कर सकेगा।

7) ऐसी जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थिति दर्ज कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के विषय-संदर्भ में उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्दिष्ट है:

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा लेना;

(ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की खोज और उनकी प्रस्तुति की आवश्यकता; और

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

8) संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मामले को प्रस्तुत करने पर, व्यक्ति द्वारा दिए गए बचाव और यथा आवश्यक उस जानकारी को रिकार्ड करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी या तो आरोप को खारिज कर देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जैसा वह उचित समझे।

9) न्यायनिर्णायक अधिकारी के सभी आदेश, वाचनात्मक आदेश होंगे, भले ही ऐसे आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई हो या नहीं, जैसा कि **परिशिष्ट क के तहत प्रपत्र VIII** में विहित है ।

10) न्यायनिर्णायक अधिकारी उपनियम (4) के अधीन नियत तारीख से तीन माह के भीतर प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन पूरा करेगा, जिसे पर्याप्त कारण होने पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।

11) यदि नियम 10(ख) के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त मामले की विषय-वस्तु मामले की प्राप्ति की तारीख को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन कार्यवाही समानांतर रूप से आरंभ की जाएगी और नियम 10च में निर्दिष्ट अनुसार आदेश पारित किया जाएगा, जब तक कि ऐसी कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रोक नहीं दी गई हो।

नियम 10घ. मामलों और कार्यवाहियों का अंतरण –

1) यदि मामला किसी ऐसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पास लाया जाता है, जिसके पास नियम 10ख के उप-नियम (3) के अनुसार उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वह मामले को ऐसे मामले की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर परिशिष्ट क के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र IX में ऐसा माने जाने कारणों के साथ संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अंतरित कर देगा।

2) यदि नियम 10ग के अधीन जांच करने पर, अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी चरण पर न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई किसी अन्य न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, तो वह मामले को मामले की प्रति और कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ ऐसे प्रारूप में जिसे परिशिष्ट क के तहत प्रपत्र X में निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे अधिकारी को अंतरित कर देगा ।

3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला अंतरित किया गया है, अपने विवेकानुसार, सम्पूर्ण मामले की प्रारम्भ से पुनः सुनवाई कर सकता है।

4) यदि कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु पर पहले ही निर्णय हो चुका है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही को सरसरी तौर पर खारिज कर देगा।

10ङ अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत् न्यायनिर्णयन के लिए नोटिस जारी किए जाने का तरीका

किसी व्यक्ति को जारी किया गया प्रत्येक नोटिस उसे निम्नलिखित तरीके से भेजा जाएगा;

1) उस व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर, जहां उसने लाभ हेतु व्यवसाय या व्यक्तिगत कार्य किया था अथवा अंतिम बार किया था, पर भेजा जाएगा; या

2) यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा;

3) जहां इसे खंड (क) या जहां भी लागू हो, (ख) के तहत भेजा नहीं जा सकता है, ऐसे प्रत्येक नोटिस को उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपका दिया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसमें अंतिम बार निवास किया था, या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया था या अंतिम बार लाभ के लिए काम किया था और इसकी लिखित रिपोर्ट के साथ नोटिस की जियो-टैग की छवियों के साथ संलग्न की जाएंगी।

नियम 10च. अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश –

1) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा कि परिशिष्ट क के तहत प्रपत्र VIII में निर्धारित किया गया है।

2) न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की एक प्रति चूककर्ता व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति को भेजेगा, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी उचित समझे।

3) इस नियम के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश नियम 10ग के उपनियम (11) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

नियम 10छ. अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत पारित न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें :

1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध सभी अपीलें, इस अधिनियम की धारा 15घ के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएंगी।

2) यदि मामला दर्ज करने वाला व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह भी, जहां तक यह व्यवहार्य हो, इस अधिनियम की धारा 15घ के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

नियम 10ज. अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत जुर्माने की राशि निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कारक

1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 15ग के अंतर्गत जुर्माने की मात्रा का न्यायनिर्णायक करते समय अधिनियम की धारा 15ग की उपधारा (4) में उल्लिखित कारकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी या किन्हीं कारकों पर भी समुचित ध्यान देगा, अर्थात:

क. परियोजना के संचालन का स्थान

ख. परियोजना का आकार-बड़ा/मध्यम/छोटा

ग. उद्योग की श्रेणी

घ. अवज्ञा/उल्लंघन का प्रकार जैसे:

(i) पर्यावरण मंजूरी के बिना काम करना

(ii) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और मानकों का अनुपालन न करना

(iii) पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन

(iv) आदेशों/निर्देशों की किसी प्रकार की अवज्ञा/उल्लंघन/गैर-अनुपालन

ड. मानक से विचलन/उल्लंघन की मात्रा

च. स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित प्रभाव/नुकसान

छ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ/फायदे

ज. उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अर्जित अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां कहीं भी गणना करने योग्य हो;

झ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन की दोहरावपूर्ण प्रकृति;

ञ. कोई अन्य कारक जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जाए।

2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना/अतिरिक्त जुर्माना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 17 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन राहत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के दायित्व के अतिरिक्त होगा।

3) उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित मामलों के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना ऐसे जुर्माने या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा, न कि उसके स्थान पर होगा।

नियम 10झ. अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गई शास्ति/अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने में विफलता :

क. इस अधिनियम की धारा 15ख के तहत लगाई गई शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

ख. इस अधिनियम की धारा 14क, 14ख, 15, और 15क के तहत अधिरोपित शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफलता के मामले में, न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करेगा। इस अधिनियम की धारा 14क, 14ख, 15 और 15क के तहत अधिरोपित अतिरिक्त शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति/कंपनी को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी, न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

नियम 10ञ. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली राशि

निम्नलिखित राशियाँ कोष में जमा की जाएंगी:

क. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) तथा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की राशि;

ख. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 06) तथा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की राशि;

ग. निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; तथा

घ. ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

नियम 10ट. पर्यावरण संरक्षण निधि की राशि का उपयोग

(1) निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, यथा,

क. मौजूदा पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सतत जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों, सतत और मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों और परिवेशी ध्वनि निगरानी स्टेशनों की स्थापना।

ख. आवश्यकतानुसार नई पर्यावरण प्रयोगशालाओं का विकास/उन्नयन ।

ग. औद्योगिक क्षेत्रों/स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास दस्तावेज़ तैयार करना।

घ. पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और दूषित स्थलों का सुधार।

ङ. एसईआईएए/ एसईएसी/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी/ पीसीसी/ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण।

च. संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान।

छ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समर्थित प्रणालियों का विकास।

ज. न्यायिक फोरमों द्वारा यथानिर्देशित अध्ययन कराना।

झ. इको-क्लबों के भी माध्यम से जागरूकता सृजन से संबंधित परियोजनाएं।

ञ. लेखापरीक्षकों, परामर्शियों और अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान सहित निधियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक व्यय।

ट. पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित अभिनव प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संबंधी परियोजनाएं।

ठ. कोई अन्य प्रयोजन, जिसे शासी निकाय द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए संगत माना जा सकता है।

(2) उप-नियम 1 में प्रयुक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा :

क. संविदात्मक रूप से बाध्य के अलावा चिकित्सा व्यय के भुगतान हेतु।

ख. पर्यावरण संरक्षण के हित में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों को क्रियान्वित करने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान का अनुभव प्राप्त करने हेतु शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन द्वारा किए गए दोरों के अलावा विदेश दौरे करने हेतु।

ग. अधिकारियों और कार्यालयों के लिए भवनों के निर्माण हेतु।

घ. आवासों और कार्यालयों के लिए फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, एयर कंडीशनर सहित जुड़नार, और जनरेटर सेट की खरीद पर अपेक्षित निधि में से कुल वार्षिक प्राप्ति के 2% से अधिक के व्यय हेतु।

(3) ईपीएफ के लिए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (अथवा) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार के सचिव, जैसा भी मामला हो, होंगे।

नियम 10ठ. पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा करने का तरीका

1) पर्यावरण संरक्षण निधि में शास्ति का भुगतान, परिशिष्ट 'क' के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र XI के अनुसार किया जाएगा।

2) निधि प्रशासक शास्ति के रूप में निधि में उपार्जित राशि का 75% हिस्सा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजेगा, जिसका उपयोग केवल नियम 10ट में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

3) निधि की शेष राशि केंद्रीय सरकार को अंतरित की जाएगी।

नियम 10ड. निधि के प्रशासन का तरीका

1) पर्यावरण संरक्षण निधि की निगरानी, एक पृथक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा की जाएगी जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार, नई दिल्ली या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, में सृजित किया जाएगा। प्रशासनिक व्यय और पीएमयू के

कार्यकरण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को किसी वित्तीय वर्ष में अंतरित निधि के 10% हिस्से से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2) पीएमयू की अध्यक्षता भारत सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (या) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी।

3) पीएमयू, ईपीएफ के संवितरण से संबंधित विस्तृत लेखों का रखरखाव करेगा और जीएफआर का यथासंभव अनुपालन किया जाएगा।

4) निधि में उपार्जित धनराशि का प्रबंधन निधि प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

5) निधि प्रशासक, पर्यावरण संरक्षण निधि के प्रशासन हेतु बैंकों में एक या अधिक खाते खोलेगा।

6) निधि प्रशासक, यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित अंतरण, जहां भी लागू हों, धनराशि की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किए जाएं और इसका राज्य-वार और आदेश-वार रिकॉर्ड रखा जाए।

7) उक्त अधिनियम की धारा 15च के अनुसार किसी भी प्रतिकूल आदेश से बचने के लिए ऐसा भुगतान किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त धनराशि के भुगतान के बारे में सूचित करते हुए जमा-राशि की प्राप्ति-रसीद के साथ परिशिष्ट-क के तहत विहित प्रपत्र XI में विधिवत भरकर निधि में किए गए सभी भुगतानों का ब्यौरा निधि प्रशासक को, उप-नियम (1) के तहत बनाई गई पीएमयू और न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

8) उक्त निधि से भुगतान करने के लिए निधि प्रशासक का दायित्व केवल कॉर्पस में उपलब्ध शेष राशि तक ही सीमित होगा।

9) केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण निधि की शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन अध्यक्ष;

ii. वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

iii. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;

iv. मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार – पदेन सदस्य;

v. अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के कम से कम सचिव स्तर के नामित तीन अधिकारी - (आवर्ती आधार पर) पदेन सदस्य होंगे;

vi. अपर/संयुक्त सचिव (प्रभारी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य सचिव, पदेन।

10) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पर्यावरण संरक्षण निधि के शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव - पदेन अध्यक्ष;

ii. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग — पदेन सदस्य;

iii. प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;

iv. वित्त विभाग के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि - पदेन सदस्य;

v. संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष – पदेन सदस्य;

vi. संयुक्त सचिव (पर्यावरण संरक्षण निधि से संबंधित विभाग का कार्य संभालने वाले), राज्य सरकार - पदेन सदस्य सचिव।

नियम 10ढ. पर्यावरण संरक्षण निधि की शासी निकाय के प्रकार्य

(1) ईपीएफ की शासी निकाय निम्नलिखित कार्यकलाप करेगी :

i. नियम 10ड के तहत यथा उल्लिखित केन्द्रीय स्तर/राज्य स्तर/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की शासी निकाय, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर ईपीएफ के उपयोग संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित करेगी।

ii. ईपीएफ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को अनुमोदित करना;

iii. निवेश संबंधी निर्णयों सहित निधि प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित रिपोर्टों की समीक्षा करना;

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि के उपयोग के संबंध में उनके प्रतिवेदनों का, उक्त अधिनियम की धारा 16 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार, मूल्यांकन करना।

v. अंतर-राज्यीय या केंद्र-राज्य से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को एक कार्यतंत्र उपलब्ध करना;

vi. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों पर विचार करना;

vii. उक्त अधिनियम की धारा 16ख के तहत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

(2) ईपीएफ की शासी निकाय की बैठक, छह माह में कम से कम एक बार होगी।

(3) शासी निकाय, न्यायनिर्णायक अधिकारी का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ निधि की निगरानी के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(4) नियम 10ड के तहत सृजित पीएमयू, केंद्रीय स्तर पर शासी निकाय या राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, की उपर्युक्त प्रकार्यों में सहायता करेगा।

नियम 10ण. निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का निवेश

(1) इस निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का निधि प्रशासक द्वारा ऐसी रीति से निवेश किया जाएगा कि निधियों का अंतरण और उपयोग प्रभावित न हो।

(2) उक्त निधि प्रशासक, निधियों के प्रबंधन के संबंध में लेखों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

नियम 10त. निधि प्रशासक

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी राष्ट्रीय बैंक को ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निधि प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, निधि प्रशासक के रूप में नियुक्त कोई भी राष्ट्रीय बैंक, पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) केंद्रीय सरकार, अपने विवेक से, इस नियम के तहत की गई किसी भी नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।

(4) निधि का प्रबंधन और प्रशासन, निधि प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

(5) निधि प्रशासक, निधि के प्रशासन के लिए बैंकों में एक या एक से अधिक खाते खोलेगा।

नियम 10थ. वित्तीय विनियम और प्रक्रियाएं

इस निधि का लेखांकन और लेखापरीक्षा, उक्त अधिनियम की धारा 16क के अनुसार की जाएगी।

5. नियम 14 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतर्वेशित किए जाएंगे :

नियम 15. धारा 16क के तहत लेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र

पर्यावरण संरक्षण निधि के लेखों का वार्षिक विवरण, परिशिष्ट-क में विहित किए गए प्रपत्र XII में होगा।

नियम 16. उक्त अधिनियम की धारा 16ख के तहत वार्षिक प्रतिवेदन का प्रपत्र

गत वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यावरण संरक्षण निधि के कार्यकलापों का सही और पूर्ण लेखाजोखा देते हुए समाप्त गत वर्ष से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन परिशिष्ट-क में विहित प्रपत्र XIII में यथाविनिर्दिष्ट विवरण सहित उक्त प्रपत्र में भरना होगा।

नियम 17. शिथिल करने की शक्ति

(1) जहां शासी निकाय इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी भी उपबंध के प्रचालन से इस निधि के सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करने में अनुचित कठिनाई हो रही है तो वह, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंधों से परस्पर विरुद्ध न होते हुए उचित रीति के अनुसार उस उपबंध की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है।

(2) केन्द्र सरकार, इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवहार्यता की जांच करने और इसे आगे विकसित करने के लिए जहां तक व्यवहारिक होगा प्रयास करेगी।

6. परिशिष्ट क के प्रारूप V के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतर्स्थापित किए जाएंगे:

प्रारूप VI: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन का प्रारूप
(नियम 10 ख देखें)
भाग क

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. पहचान प्रमाण प्रस्तुत किया जाना:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,

श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

3. आयु

4. लिंग

5. राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

7. पत्राचार पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

8. व्यवसाय/पदनाम

9. कार्यालय का पता

10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:

11. ईमेल पता:

12. व्यक्ति/कंपनी/सरकारी विभाग का विवरण, जिसके विरूद्ध अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज की गई हो:

_____

_____

_____

13. गैर अनुपालन करने संबंधी शिकायत की प्रस्तुति का तरीका

___ व्यक्तिगत रूप से

___ डाक द्वारा

___ ऑनलाइन पोर्टल

14. अधिनियम, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है:

_____

_____

15. अनुपालन न करने संबंधी विवरण :

_____

_____

संलग्नक :

क्र. सं.	**दस्तावेज़**	**क्या संलग्न है (हां/नहीं)**
1.	पहचान का प्रमाण	
2.	विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र (जैसा कि भाग ख में दर्शाया गया है)	
3.	सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने न करने संबंधी रिपोर्ट अनुपालन दर्ज की है/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

तारीख :

भाग ख
वचनबंध

मैं _____ आयु _____ वर्ष, पुत्र _____निवासी _____, शपथ द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

1. कि मैं अपनी ओर से यह अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल कर रहा हूं

या

यह कि मैं यह अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/ कंपनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/व्यक्तियों के संघ/गैर-सरकारी संगठन/सीमित देयता भागीदारी (इसका नाम और पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो, दें) की ओर से दाखिल कर रहा हूं, जिनका कार्यालय (संगठन का संपर्क पता/ई-मेल/फोन/फैक्स दें) पर है और यह कि मैं इसके दिनांक

_____ के प्राधिकार द्वारा इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने और इसे तैयार करने के लिए अधिकृत हूं।

2. यह कि मैंने यथा-संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट दायर की है।

3. यह कि प्रपत्र के भाग-क में उल्लिखित अनुपालन न करने संबंधी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, तथा मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं।

4. मैं यह उल्लेख करता हूँ कि इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को दाखिल करने से पहले मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी, योग्यता और क्षमता के अनुसार सूचना और सहायक साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं जो _____ के विरुद्ध अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट के समर्थन में प्रासंगिक हैं और मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि मैंने इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट में कोई डेटा/सामग्री/सूचना नहीं छिपाई है ।

इस दिन _____ को _____ पर सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई।

शपथकर्ता

प्रपत्र VII: नोटिस

नियम 10ग (1) देखें

भाग क

प्रतिवादी को नोटिस

सेवा में:

प्रतिवादी का नाम :

पता:

सम्पर्क विवरण :

1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ पठित _____ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट पंजीकृत की गई है, जिसकी एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न है।

2. आपको एतदद्वारा व्यक्तिगत रूप से, या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, _____ को _____ (पता) पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. कृपया यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि को आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन को जारी किया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

भाग ख
प्रेजेंटिंग अधिकारी को नोटिस

सेवा में
प्रेजेटिंग अधिकारी
_____
_____

1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक _____ के पत्र/ज्ञापन संख्या _____ के माध्यम से पंजीकृत और अग्रेषित अनुपालन न करने वाली रिपोर्ट पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा _____ को _____ (पता) पर सुनवाई की जाएगी।

2. आप (या) परिशिष्ट-ख के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने (या) उल्लंघन करने के संबंध में संज्ञान लेने के लिए मामले पर कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना और मामला प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XII: नियम 10ग (9) के तहत आदेश का प्रारूप

नियम 10ग (9) देखें

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित : _____

प्रेजेटिंग अधिकारी : _____

प्रतिवादी : _____

1. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, मामले में पक्षकार _____ को दिनांक _____ पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए।

यदि प्रतिवादी प्रावधानों का अनुपालन न करना स्वीकार करता है, तो निम्नलिखित पैराग्राफ 2 को शामिल किया जाएगा:

2. नियम 10ग के उप-नियम (9) के अंतर्गत, प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध दर्ज अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट शिकायत को स्वीकार किया है, और इस प्रकार उस पर जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

3. पक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:

_____

_____

यदि लागू हो:

4. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिवादी पर _____ जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना अदा करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिवादी अधिनियम की धारा 45क के प्रावधानों के तहत आगे के अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

5. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ इस _____दिन को जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र IX

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 10घ (1) देखें

सेवा में
प्रेजेंटिंग अधिकारी
(जिसे अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को हस्तांतरित किया जाना है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित: _____

प्रतिवादी : _____

1. कृपया को अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक_____ को प्राप्त अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट संलग्न है।

2. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी मामला उपरोक्त प्रेजेंटिंग अधिकारी के विनियामक क्षेत्राधिकार में आता है।

3. अतः अनुरोध है कि इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को पंजीकृत किया जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न..

1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि

2. आवश्यक दस्तावेज (जहां भी लागू हो)

प्रेजेंटिंग अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि
(नाम और पता)
(हस्ताक्षरित, दिनांकित और मुहर लगी हुई)

फॉर्म X

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 10घ (2) देखें

सेवा में

न्यायनिर्णायक अधिकारी (केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (जिन्हें कार्यवाही रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित : _____

प्रतिवादी : _____

1. ऊपर बताए गए अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को _____ को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और इस पर निर्णय लिया जा रहा था।

2. कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी विषय आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि विधिवत हस्तांतरित की जा रही है।

4. अनुरोध है कि इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न..

1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि

2. कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि

(जहां भी लागू हो)

यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन को जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XI

निधि में शास्ति के भुगतान करने काफॉर्मेट

नियम 10ठ देखें

1. जमाकर्ता का नाम (बड़े अक्षरों में):
2. प्रस्तुत किए गए पहचान का प्रमाण:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा: ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

3. आयु

4.लिंग

5.राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान के प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

मुहल्ला गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

7. पत्राचार पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

मुहल्ला गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

8. व्यवसाय/पदनाम

9. कार्यालय का पता

10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:

11. ईमेल पता:

12. भुगतान करने का कारण

निर्णायक अधिकारी का __आदेश (यदि हां, तो अनुपालन न करने संबंधी विवरण दें)

_____

_____

__ अन्य

13. जमा की गई राशि (शब्दों और अंकों में): _____

14. जमाकर्ता का बैंक विवरण:_____

15. बैंक विवरण जिसमें राशि जमा की गई:_____

16. ट्रैंसेक्शन आईडी (प्रमाण भी संलग्न करें):_____

17. विलम्ब (यदि कोई हो): _____

18. जमा की गई राशि में शामिल अतिरिक्त जुर्माना (यदि कोई हो):

_____

प्रतिलिपि:

1. निधि प्रशासक

2. संबंधित प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

3. संबंधित निर्णायक अधिकारी (जहां भी लागू हो)

सत्यापन

मैं _____ उपर्युक्त नामित जमाकर्ता एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि इस प्रपत्र की विषय सामग्री मेरे द्वारा विधिवत भरी गई हैऔर मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

इस _____ के _____ दिन को _____ में सत्यापित।

शपथकर्त्ता

प्रपत्र XII

खातों के वार्षिक विवरण के लिए फॉर्मेट

नियम 15 देखें

31 मार्च 20.... तक की स्थिति के अनुसार

पर्यावरण संरक्षण निधि के खातों का वार्षिक विवरण

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष
1.	वर्ष के आरंभ में निधियों का अथ शेष		
2.	**निधि में वृद्धि** क. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत लगाई गई शास्ति ख. वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत लगाई गई शास्ति ग. जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 06) के अंतर्गत लगाई गई शास्ति घ. निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय ङ. ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।		
	कुल (1+2)		
3.	**निधियों का संवितरण** i. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ii. केंद्रीय सरकार		
	कुल (i+ii)		
4.	**राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का उपयोग** क. मौजूदा पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सतत जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों, सतत और मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और परिवेशी ध्वनि निगरानी केंद्रो की स्थापना। ख. आवश्यकतानुसार नई पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का विकास/ उन्नयन। ग. औद्योगिक क्षेत्र/स्वच्छ प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान एवं विकास दस्तावेजों को तैयार करना घ. पर्यावरणीय क्षति का आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और संदूषित स्थलों का शोधन ङ. एसईआईएए/एसईएसी/सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण च. संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान छ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम प्रणालियों का विकास ज. कानून मंचों द्वारा निर्देशित अध्ययन संचालित करना झ. इको-क्लबों के माध्यम से जागरूकता सृजन से संबंधित परियोजनाएं		

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष
	ञ. लेखा परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान सहित निधियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक व्यय ट. पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं ठ. कोई अन्य उद्देश्य जिसे शासी निकाय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है		
5	**केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का उपयोग** क. मौजूदा पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सतत जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रो, सतत और मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रो और परिवेशी ध्वनि निगरानी केंद्रो की स्थापना। ख. आवश्यकतानुसार नई पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का विकास/ उन्नयन। ग. औद्योगिक क्षेत्र/स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास दस्तावेजों को तैयार करना। घ. पर्यावरणीय क्षति का आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और संदूषित स्थलों का शोधन ङ. एसईआईएए/एसईएसी/सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण च. संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान छ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम प्रणालियों का विकास ज. कानून मंचों द्वारा निर्देशित अध्ययन आयोजित करना झ. इको-क्लबों के माध्यम से जागरूकता सृजन से संबंधित परियोजनाएं ञ. लेखा परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान सहित निधियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक व्यय ट. पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं ठ. कोई अन्य उद्देश्य जिसे शासी निकाय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है		
	कुल (4+5)		
6.	वर्ष के अंत में उपलब्ध कुल अंत: शेष		

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र XIII

वार्षिक रिपोर्ट का फॉर्मेट

नियम 16 देखें

31 मार्च 20 ....तक की स्थिति के अनुसार

वार्षिक रिपोर्ट

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम 10टमें उल्लिखित गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए, गत समाप्त वर्ष के संबंध में नीचे दिए गए फॉर्मेट में वार्षिक रिपोर्ट:

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	गतिविधि	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	कमी का कारण
1.				
2.				
3.				
4.				

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन के
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

7. परिशिष्ट क के बाद, निम्नलिखित परिशिष्ट ख अंतर्वेशितकिया जाएगा:

परिशिष्ट ख

प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सीएक्यूएम का क्षेत्राधिकार
2.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सम्पूर्ण भारत
3.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 तथा वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य
4.	संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत अधिसूचित समिति के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
5.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	उनके संबंधित क्षेत्र के भीतर
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र

	(प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	
7.	प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) के वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी'।	आरओ और एसआरओ के संबंधित क्षेत्राधिकार
9.	कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण राजस्व जिला
10.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण उप-प्रभाग
11.	गंगा परियोजना निदेशालय का कोई भी क्षेत्रीय/आंचलिक अधिकारी या क्षेत्र/अंचल का प्रभारी निदेशक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा निर्धारित आंचलिक/ क्षेत्रीय क्षेत्र
12.	गंगा परियोजना निदेशालय में भारत सरकार का कोई उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव या अपर सचिव या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य जिसमें गंगा कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है
13.	बीज निरीक्षक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	बीज नियंत्रक आदेश, 1983 कं खंड 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित क्षेत्र

[फा. सं. आईए-जेड-11013/20/2022-आईए-II(आईएनडी-I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2024

G.S.R. 418(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), amend the Environment (Protection) Rules 1986, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira ParyavaranBhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or diriapolicy-moefcc@nic.in

S.O.....(E)- In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Environment (Protection) Rules, 1986:

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Environment (Protection) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2, the following shall be inserted:

(1) After clause (aa), the following clause may be inserted:

(aaa) "Adjudicating Officer" means any officer appointed/notify under section 15C of the Act;

(2) After clause (c), the following clauses may be inserted:

(cc) "Fund" means the Environment Protection Fund as defined under Section 16 of the Act;

(ccc) "Fund Administrator" means a National Bank as appointed by the Central Government for the administration of the Fund under Rule 10 P;

(3) After clause (ee), the following clause may be inserted:

(eee) “Presenting Officer” means the officers (or) their authorized representative as per Appendix – B for taking cognizance of non-compliance (or)contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction and for initiating and presenting the matter before the concerned Adjudicating Officer.”

(4) After sub-rule (j), the following sub-rule shall be inserted:

“(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and Rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said rules, as the case may be.”

3. In Rule 4, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted:

“(7) In a case where the Central Government is of the opinion that in view of likelihood of grave injury to the environment, the Central Government may direct the Central Pollution Control Board (CPCB) (or) concerned State Pollution Control Board (SPCB) (or) concerned Pollution Control Committee (PCC) to revoke the consent accorded under the relevant provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974”.

4. After Rule 10, the following rules shall be inserted, namely:

“RULE 10A. APPOINTMENT OF ADJUDICATING OFFICER UNDER SECTION 15C OF THE ACT

1) The Secretary in-charge of the Environment Department of the State Government / Union Territory Administration (or) any other officer not below the rank of Secretary to State Government as nominated by the State Government and Union Territory Administration shall be the *ex-officio* Adjudicating Officer for the respective State and Union Territories

2) The Central Government may appoint (i) Adjudication Officer at Central level not below the level of Joint Secretary to the Government of India and (ii) more than one Adjudicating Officer, not below the level of

Secretary to the State Government, in a State / Union Territory, either on its own motion or on a written request by the concerned State Government and Union Territory Administration.

3) The Adjudicating Officer may be provided with requisite manpower assistance, office space and technical assistance by the Central Government / State Government / Union Territory Administration as the case may be.

RULE 10B. COGNIZANCE AND PROCESSING OF MATTERS UNDER SECTION 14 AND 15 OF THE ACT

1) No Adjudicating Officer shall take cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, unless such matter is initiated by the Presenting Officer, along with all relevant documents, either on its own motion or on receipt of a representation in the prescribed form VI under Appendix A.

2) The Officers authorized for taking cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, within their respective jurisdiction shall present the matter before the concerned Adjudicating Officer of the State / Union Territory, as per the jurisdiction mentioned therein. The list of Officers is provided in the Appendix-B.

3) The Presenting Officer shall, before forwarding the matter under Rule 10B (1) to the Adjudicating Officer, process the same exercising reasonable due diligence, in order to bring on record all relevant facts and circumstances that need to be taken into account for imposing penalty, and also to ascertain if it is a matter necessary for adjudication.

RULE 10C. MANNER OF INQUIRY BY ADJUDICATING OFFICER UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

1) Within 30 days of receipt of a matter, the Adjudicating Officer shall issue notice to the concerned Presenting Officer as well as to the person against whom non-compliance or contravention is alleged, along with the particulars of the matter against him clearly specifying the nature of non-compliance or contravention, and such person may either appear personally or through an authorized representative, on such date as specified, which shall not be less than 15 days from the date of notice received thereon and shall not exceed 30 days, in such format as prescribed in form VII under Appendix A.

2) On such date as specified in the Notice, the person or his authorized representative may admit or deny the allegations levelled against him, before the Adjudicating Officer.

3) Under sub-rule (2), if the person or his representative admits to the allegations, the Adjudicating Officer shall state in his order such admission of the respondent, along with the quantum of penalty imposed in such format as may be prescribed by the Central Government, and send a copy of the order to the concerned Presenting Officer as well as the person who has lodged the matter, if applicable.

4) In cases not covered under sub-rule (3), the Adjudicating Officer shall fix a date for inquiry and communicate the same to the concerned Presenting Officer, for presentation of the matter.

5) On the date fixed, the Adjudicating Officer shall give an opportunity to the person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry.

6) If any person fails or refuses to appear before the Adjudicating Officer as required by sub-rule (5) without sufficient cause, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person.

7) While holding such inquiry, the Adjudicating Officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the matter to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, the Adjudicating Officer shall have the following powers of a Civil Court, as specified in the Civil Procedure Code, 1908:

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) Requiring the discovery and production of documents or other electronic records; and

(c) Receiving evidence on affidavits.

8) On presentation of matter by the concerned Presenting Officer, defense given by the person and recording of such information as necessary, the Adjudicating Officer shall either dismiss the allegation or make such other order as it deems fit.

9) All orders of the Adjudicating Officer shall be speaking orders, irrespective of whether penalty has been imposed by such order or not as prescribed in form VIII under Appendix A.

10) The Adjudicating Officer shall complete the adjudication of every matter within three months from the date fixed under sub-rule (4), which is extendable upto three more months if sufficient cause exists.

11) If the subject-matter of the matter received under sub-rule (1) of Rule 10 B is already in question before the National Green Tribunal or any other Court of competent jurisdiction on the date of receipt of the matter, the proceedings under this Rule shall be initiated by the Adjudicating Officer in parallel and pass order as indicated in Rule 10F unless such proceedings have been explicitly stayed by the National Green Tribunal or any other Court.

RULE 10D. TRANSFER OF MATTERS AND PROCEEDINGS

1) If the matter is made to a Presenting Officer which does not have jurisdiction to entertain it as per sub-rule (3) of Rule 10B, it shall transfer the matter to the concerned Presenting Officer within fifteen days of the receipt of such matter, along with reasons of such belief, in such format as prescribed in form IX under Appendix A.

2) If on inquiry under Rule 10C, it appears to the Adjudicating Officer at any stage of the proceedings before signing the final order, that the case is one which ought to be tried by any other Adjudicating Officer, as the case may be, he shall transfer the case to such officer along with the copy of matter and a record of proceedings, in such format as may be prescribed in form X under Appendix A.

3) The Adjudicating Officer to whom such case is transferred may, in his discretion, re-hear the entire case from its inception.

4) If in the course of proceedings, it is found that the subject-matter of any proceedings is already adjudicated upon, the Adjudicating Officer shall summarily dismiss the proceedings.

RULE 10E. MANNER OF SERVICE OF NOTICE FOR ADJUDICATION UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

Every notice issued to a person shall be served on him in the following manner, namely:

1) By sending it to the person by registered post with acknowledgement due, to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

2) By sending it to the registered email of the person, if available;

3) Where it cannot be served under clause (a) or wherever applicable, (b), every such Notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof shall be accompanied by the geo-tagged images of the notice.

RULE 10F. ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

1) Every order passed by the Adjudicating Officer shall be dated and signed by the Adjudicating Officer, in such format as prescribed in form VIII under Appendix A.

2) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order passed by him to the person in default, the Central Government, the concerned presenting officer, the person lodging the matter and any other person which the Adjudicating Officer considers appropriate.

3) Any order passed under this Rule shall be subject to the outcome of any proceedings mentioned under sub-rule (11) of Rule 10C.

RULE 10G. APPEALS FROM THE ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER PASSED UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

1) All appeals from the order(s) passed by the Adjudicating Officer under the Act shall lie to the National Green Tribunal (NGT) established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), as per Section 15D of this Act.

2) If the person who has lodged the matter is aggrieved by the order of the Adjudicating Officer, he shall also follow the process under Section 15D of the Act, so far as it may be practicable.

RULE 10H. FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE DETERMINING QUANTUM OF PENALTY UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

1) The Adjudicating Officer, while adjudicating the quantum of penalty under section 15C shall have due regard to all or any the following factors in addition to factor stated in Sub-Section (4) of Section 15 C of the Act, namely:

   a. Place of operation of project

   b. Size of the Project-Large / Medium / Small

   c. Category of industry

   d. Type of contravention /violation such as

      i. Working without Environment Clearances

      ii. Non-compliance of Environmental safeguards and standards

      iii. Violation of conditions of Environment Clearances

      iv. Any other contraventions/violations/non- compliances of orders/directions

   e. Quantum of deviation/ contravention from the standard

   f. Health impacts / loss likely to be caused

   g. Undue gain / benefit derived out of contravention or non-compliance

   h. The amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or non-compliance;

   i. The repetitive nature of the contravention or non-compliance;

   j. Any other factor as may be considered by the Adjudicating Officer to be relevant for the protection of environment.

2) The penalty / additional penalty as imposed by the Adjudicating Officer under this Act shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 of this Act read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010.

3) For matters mentioned under sub-section (2), the penalty imposed by the Adjudicating Officer shall be in addition to, and not in substitution of such penalty or compensation.

RULE 10I. FAILURE TO PAY PENALTY / ADDITIONAL PENALTY IMPOSED BY THE ADJUDICATING OFFICER UNDER SECTION 14 AND SECTION 15 OF THE ACT

a. In case of failure to pay penalty imposed under Section 15 B of the Act within 90 days, such person shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB /PCC to initiate criminal proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

b. In case of failure to pay penalty imposed under Section 14 A, 14 B, 15 and 15Aof the Act within 90 days, the Adjudicating Officer shall impose Additional penalty. In case of failure to pay Additional penalty imposed under section 14A, 14B, 15 and 15A of the Act within ninety days, such person / company shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB / PCC to initiate criminal proceedings against the person / company in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person/company in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

RULE 10J. AMOUNT TO BE CREDITED IN THE ENVIRONMENT PROTECTION FUND UNDER SECTION 16 OF THE ACT

The following sums shall be credited to the Fund:

a) The amount of penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), and under this Act;

b) The amount of penalty imposed under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (06 of 1974), and under this Act;

c) The interest or other income received out of investments made from the Fund; and

d) Any other amount from such sources, as may be prescribed.

RULE 10K. UTILIZATION OF THE AMOUNT OF ENVIRONMENT PROTECTION FUND

(1) The fund shall be utilized for the following purposes, namely,

a. Installation of Continuous Water Quality Monitoring Stations, Continuous & Manual Ambient Air Quality Monitoring Stations and Ambient Noise Monitoring Stations for strengthening of existing environmental monitoring network.

b. Development of New/ Upgradation of Enviromental Laboratories, as per requirement.

c. Preparation of Research and Development documents on Industrial Sectors / Clean Technology.

d. Assessment of Environmental Damages, preparation of Detailed Project Reports (DPRs) and Remediation of Contaminated Sites.

e. Capacity Building and Strengthening of SEIAAs / SEACs / CPCB / SPCBs / PCCs / Urban Local Bodies (ULBs).

f. Payment of Salaries and other emoluments to the Contractual staff.

g. Development of Information Technology (IT) enabled systems.

h. Conducting studies as directed by forums of law.

i. Projects related to awareness generation including through eco-clubs.

j. Administrative expenses relating to management of funds including payment of auditors, consultants and other professional services.

k. Innovative Technology demonstration projects pertaining to Clean Technology for environment protection.

l. Any other purpose as may be considered by the Governing body to be relevant for the protection of environment.

(2) The fund used in the sub-rule 1 shall not be used for the following:

a. Payment of medical expenses other than which is contractually obligated.

b. Undertaking foreign visits except those undertaken by the prior approval of the Governing body for the knowledge exchange exposure for undertaking best practices available in the interest of environment protection.

c. Construction of buildings for officers and offices.

d. Purchase of furniture, office equipment, fixtures including air conditioners, and generator sets for residences and offices beyond 2% of the total annual receipt in the requisite fund.

(3) The sanctioning authority for the EPF shall be Joint Secretary to the Government of India (or) Secretary to the State Government, in a State / Union Territory as the case may be.

RULE 10L. MANNER FOR CREDITING IN THE ENVIRONMENT PROTECTION FUND

1) The payment of penalty shall be made in the Environment Protection Fund as prescribed form XI under Appendix A.

2) The Fund Administrator shall remit 75% of the amount accrued in the Fund by way of penalty to the concerned State(s)/UTs as directed by the Adjudicating Officer, which shall be utilized only for the purposes mentioned rule 10K.

3) The remaining amount of the Fund shall be transferred to the Central Government.

RULE 10M. MANNER OF ADMINISTRATION OF FUND

1) The Environment Protection Fund shall be monitored by a dedicated Project Management Unit (PMU) that shall be created in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, New Delhi or the State Governments/ Union Territory Administration as the case may be not more than 10% of the Fund transferred in a financial year to the Central Government or the State Governments/ Union

Territory Administration, as the case may be, shall be used for the administrative expenses and the functioning of the PMU.

2) The PMU shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India (or) Secretary to the State Government, in a State / Union Territory Administration as the case may be.

3) The PMU shall maintain the detailed accounts related to the disbursal of the EPF and as far as possible GFR shall be followed.

4) The money accrued in the Fund shall be managed by the Fund Administrator.

5) The Fund Administrator shall open one or more accounts in the banks to administer the Environment Protection Fund.

6) The Fund Administrator shall ensure that the requisite transfers, wherever applicable, are made within 15 days of the receipt of amount and maintain a state wise and order wise record of the same.

7) All payments to the Fund shall be submitted in a duly filled Form XI, prescribed under Appendix A, along with the receipt of the deposit to the Fund Administrator, the PMU created under sub-Rule (1) and the Adjudicating Officer informing about payment of the amount within fifteen days of making of such payment to avoid any adverse orders as per Section 15F of the Act.

8) The liability of the Fund Administrator for making the payments from the Fund shall be limited only to the extent of balance available in the corpus.

9) The governing body of the Environment Protection Fund at the Central level shall consist of:

   i. Secretary, MoEF&CC, Government of India— Chairperson, ex officio

   ii. Director General of Forests and Special Secretary, MoEF&CC, Government of India—Member, ex officio;

   iii. Chairperson, Central Pollution Control Board – Member, ex officio;

   iv. Financial Advisor of the Ministry- Member, ex officio;

   v. Three officers nominated by the Chairperson, not below the rank of Secretary of the Government of the State / UTs every year to be a — Ex officio Members (Rotational basis)

   vi. Additional / Joint Secretary (In charge), MoEF&CC, Government of India— Member Secretary, ex officio

10) The governing body of the Environment Protection Fund at the State/UT level shall consist of:

   i. Chief Secretary, of the State/UT — Chairperson, ex officio;

   ii. Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change — Member, ex officio.

   iii. Principal Chief Conservator of Forests —Member, ex officio;

   iv. Representative of Finance Department, not below the level of Joint Secretary – Member, ex officio;

   v. Chairperson of the concerned SPCB / PCC – Member, ex officio;

   vi. Joint Secretary (of the department dealing with the Environment Protection Fund), State Government — Member Secretary, ex officio.

RULE 10N. FUNCTIONS OF GOVERNING BODY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION FUND

(1) The governing body of the EPF shall:

   i. The Governing Body at the Central level / State level / Union Territory level as mentioned under Rule 10 M shall approve the proposal for utilization of the EPF based on the proposals submitted by Central Government / State Government / Union Territory Government as the case may be.

   ii. Approve the annual report and Audited accounts of the EPF;

   iii. Review reports on decision taken by Fund Administrator including investment decisions;

   iv. Appraisal of the reports for the State / UTs with regard to Utilization of Fund credited to them as specified in clause (5) of Section 16 of the Act.

   v. Provide a mechanism to State Authorities to resolve issues of inter-State or Centre-State character;

   vi. Consideration of requests from State government/UT;

vii. Preparation of Annual Report under Section 16B of the Act.

(2) The governing body of the EPF shall meet at least once in six months.

(3) The governing body may take necessary steps to ensure the effective functioning of the Adjudicating Officer, as well as monitoring of the fund.

(4) The PMU created under Rule 10 M shall assist the Governing Body at the Central-level or the State Governments as the case may be in the aforementioned functions.

RULE 10 O. INVESTMENT OF AMOUNT RECEIVED UNDER FUND

(1) The amount received under the Fund shall be invested by the Fund Administrator in such a manner such that the transfer and utilization of funds is not affected.

(2) The Fund Administrator shall submit, the annual statement of accounts on the management of funds.

RULE 10 P. FUND ADMINISTRATOR

(1) The Central Government shall, by Notification, appoint a National Bank as the Fund Administrator for a period of five years from the date of such notification.

(2) On the expiry of the term of five years, any National Bank appointed as a Fund Administrator shall be eligible for re-appointment.

(3) The Central Government may, in its discretion, may terminate any appointment made under this Rule.

(4) The Fund shall be managed and administered by the Fund Administrator.

(5) The Fund Administrator shall open one or more accounts in the banks to administer the Fund.

RULE 10 Q. FINANCIAL REGULATION AND PROCEDURES

The accounts and auditing of the Fund shall be done as per Section 16A of the Act.

5. After the Rule 14, the following Rules shall be inserted:

RULE 15. FORM OF ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS UNDER SECTION 16A.

The annual statement of accounts of the Environment Protection Fund shall be in such Form XII prescribed in Appendix A.

RULE 16. FORM OF ANNUAL REPORT UNDER SECTION 16B OF THE ACT

The annual report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities of the Environment Protection Fund during the previous financial year shall contain such particulars, and in such format as prescribed Form XIII prescribed in Appendix A.

RULE 17. POWER TO RELAX

(1) Where the Governing Body is satisfied that the operation of any of the provisions of these Rules causes undue hardship in achieving the objective of creation of this Fund, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

(2) The Central Government shall endeavor to examine the feasibility of, and further develop online portal for facilitating the procedures enunciated under these Rules, as far as practicable.

6. After Form V of Appendix A, the following forms shall be inserted:

FORM VI: FORMAT OF NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE EP ACT

(See Rule 10B)

Part A

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE PERSON LODGING THE NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE EP ACT

1. Name of the Person lodging the non-compliance (In Block Letters):
2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a

Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

3. Age
4. Gender
5. Nationality

Note: In case the person who has lodged the non-compliance is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity

6. Permanent Address

House/Property Number: _____
Locality Village: _____
District: _____
City:_____
State: _____
Country: _____
Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

7. Correspondence Address

House/Property Number: _____
Locality Village: _____
District: _____
City:_____
State: _____
Country: _____
Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

8. Occupation/ Designation
9. Office Address
10. Telephone Number/Mobile Number:
11. Email Address:
12. Details of Person/Company/Government Department against whom non-compliance is made:
    _____
    _____
    _____
13. Mode of Presentation of non-compliance
    ___ In-Person
    ___ By Post
    ___ Online Portal
14. The relevant provisions of Act, rules, orders and directions the contravention of which is alleged:
    _____
    _____
15. Particulars of non-compliance:
    _____
    _____

Enclosures:

S. No.	Document	Whether enclosed (Yes/No)
1.	Identity Proof	
2.	Duly Notarised Affidavit (as indicated in Part B)	
3.	Supporting Documents (if any)	

Signature of the Person who has lodged the non-compliance/Authorized Signatory

Place:
Date:

Part B
UNDERTAKING

I _____ aged _____ years, S/o _____ Resident of _____do here by solemnly affirm and declare on oath as under-

1. That I am filing this non-compliance on my own behalf

OR

That I am filing this non-compliance on behalf of body/Board/ Corporation/ Authority/ Company/ society/trust/association of persons/Non-Governmental Organisation/ Limited Liability Partnership (give its name and registration number, if any) having their office at (give contact address/email/phone/fax of the organization) and that I am authorized to sign and make this non-compliance vide its authorisation dated _____.

2. That I have filed the present non-compliance under the provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended from time to time.

3. That particulars of the non-compliance mentioned in Part A of this Form are true to the best of my knowledge, and I have enclosed all necessary documents.

4. I state that before filing this non-compliance I have collected the information and supporting evidence to the best of my knowledge, ability and capacity which are relevant in support of the non-compliances against _____ and I further confirm that I have not concealed any data / material / information in this non-compliance.

Solemnly affirmed at _____ on this day _____ of _____.

DEPONENT

FORM VII: NOTICE
See RULE 10C(1)

Part A
NOTICE TO THE RESPONDENT

To:

Name of the Addressee:
Address:
Contact Details:

1. TAKE NOTICE that a non-compliance is registered against you by the Presenting Officer at _____ under the provisions of _____ read with Environment (Protection) Act, 1986, a copy of which has been attached with this Notice.

2. You are hereby called upon to appear before the Adjudicating Officer in person, or through an authorized representative, on _____ at _____ (Address).

3. Take further notice that, in default of your appearance on the day aforementioned, the matter will be heard and determined in your absence.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

Part B
NOTICE TO THE PRESENTING OFFICER

To
The Presenting Officer
_____
_____

1. TAKE NOTICE that the non-compliance registered and forwarded by you vide Letter/Memo No. _____ dated _____ shall be heard by the Adjudicating Officer on _____ at _____ (Address).

2. You (or) the authorized representative as per Appendix – B for taking cognizance of non-compliance (or) contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction are required to attend the proceedings and present the case.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM VIII: FORMAT OF ORDER UNDER RULE 10C(9)

See RULE 10C (9)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Presenting Officer: _____

Respondent: _____

1. That, in the matter as indicated above, the parties appeared before the Adjudicating Officer on _____ at _____.

If the respondent admits to the non-compliance, the following paragraph 2 would be included:

2. Under sub-Rule (9) of Rule 10C, the respondent has admitted to the non-compliance registered against him, and as such the following penalty is imposed on him, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

3. After hearing the parties and perusing documents and all other evidence as presented, the following order is made:

_____
_____
_____

If applicable:

4. For reasons as aforesaid, the following penalty is imposed on the respondent, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

4. In case of failure to pay the penalty or additional penalty, as required by the Environment (Protection) Act, 1986, the respondent shall become liable under the provisions of Section 15F of the Act for further prosecution.

5. Non-compliance is disposed of in the aforementioned terms.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM IX
FORMAT OF TRANSFER OF NON-COMPLIANCE BY PRESENTING OFFICER

SEE RULE 10D(1)

To
The Presenting Officer
(to whom non-compliance is to be transferred)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Respondent: _____

1. Please find attached non-compliance received by the undersigned on _____.

2. On perusal of the non-compliance, it is found that the non-compliance falls within the regulatory jurisdiction of the Presenting Officer addressed above.

3. It is, therefore, requested to register this non-compliance, and take any further action that may be necessary.

Encl..
1. Copy of the non-compliance
2. Necessary documents (wherever applicable)

Authorized Representative of the Presenting Officer

(Name and Address)

(Signed, dated and stamped)

FORM X
FORMAT OF TRANSFER OF PROCEEDINGS BY ADJUDICATING OFFICER

SEE RULE 10D(2)

To
The Adjudicating Officer (Centre/State/UT) (to whom proceedings are to be transferred)

Non-compliance ID: _____
Dated: _____
Respondent: _____

1. The non-compliance as indicated above was brought before the undersigned on _____, and was being adjudicated.
2. During the course of proceedings, it has been found that the subject-matter of the non-compliance falls within your jurisdiction.
3. In view of the above, all case documents and a certified copy of record of proceedings are being duly transferred.
4. It is requested that further necessary action may be taken in the matter.

Encl..
1. Copy of the non-compliance
2. Certified Copy of record of proceedings
(wherever applicable)

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM XI
FORMAT FOR PAYMENT OF PENALTY TO THE FUND

SEE RULE 10L

1. Name of the Depositor (In Block Letters):
2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:
Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

3. Age
4. Gender
5. Nationality

Note: In case the person who has lodged the non-compliance is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity.
6. Permanent Address

House/Property Number: _____
Locality Village: _____
District: _____
City:_____
State: _____
Country: _____
Pin Code/Postal or Zonal Code: _____
7. Correspondence Address

House/Property Number: _____
Locality Village: _____
District: _____
City:_____
State: _____
Country: _____
Pin Code/Postal or Zonal Code: _____
8. Occupation/Designation
9. Office Address
10. Telephone Number/Mobile Number:
11. Email Address:
12. Reason for making payment
__ Order of the Adjudicating Officer (If yes, give details of the non-compliance)
_____
__ Others
13. Amount Submitted (in words and numbers): _____
14. Bank Details of the depositor:
_____
15. Bank Details in which amount submitted: _____
16. Transaction ID (Also attach proof): _____
17. Delay (if any): _____
18. Additional Penalty (if any) included in the amount submitted: _____

Copy to:
1. Fund Administrator
2. Concerned Division, MoEF&CC
3. Concerned Adjudicating Officer (wherever applicable)

VERIFICATION

I _____ the above named depositor do hereby verify that the contents of this Form have been duly filled by me, and are true and correct to the best of my knowledge.
Verified at _____ on this day _____ of _____.

DEPONENT

FORM XII
FORMAT FOR ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

See RULE 15
Annual Statement of Accounts of Environment Protection Fund

as on 31st March 20….

(Amount in Rs.)

S. No.	Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year
1.	Opening Balance of funds at the Beginning of the Year		
2.	**Additions to the Fund** a. Penalty imposed under the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) b. Penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), c. Penalty imposed under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (06 of 1974) d. Interest or other income received out of investments made from the Fund e. Any other amount from such sources, as may be prescribed.		
	TOTAL (1+2)		
3.	**Disbursal of Funds** i. State Government/ UTs ii. Central Government		
	TOTAL (i+ii)		
4.	**Utilization of Funds by State Government/UTs** a. Installation of Continuous Water Quality Monitoring Stations, Continuous & Manual Ambient Air Quality Monitoring Stations and Ambient Noise Monitoring Stations for strengthening of existing environmental monitoring network. b. Development of New/ Upgradation of Enviromental Laboratories, as per requirement. c. Preparation of Research and Development documents on Industrial Sectors / Clean Technology d. Assessment of Environmental Damages, preparation of Detailed Project Reports (DPRs) and Remediation of Contaminated Sites e. Capacity Building and Strengthening of SEIAAs / SEACs / CPCB / SPCBs / PCCs / Urban Local Bodies (ULBs)		

S. No.	Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year
	f. Payment of Salaries and other emoluments to the Contractual staff. g. Development of Information Technology (IT) enabled systems. h. Conducted studies as directed by forums of law i. Projects related to awareness generation including through eco-clubs j. Administrative expenses relating to management of funds including payment of auditors, consultants and other professional services k. Innovative Technology demonstration projects pertaining to Clean Technology for environment protection. l. Any other purpose as may be considered by the Governing body to be relevant for the protection of environment.		
5.	**Utilization of Funds by Central Government** a. Installation of Continuous Water Quality Monitoring Stations, Continuous & Manual Ambient Air Quality Monitoring Stations and Ambient Noise Monitoring Stations for strengthening of existing environmental monitoring network. b. Development of New/ Upgradation of Enviromental Laboratories, as per requirement. c. Preparation of Research and Development documents on Industrial Sectors / Clean Technology d. Assessment of Environmental Damages, preparation of Detailed Project Reports (DPRs) and Remediation of Contaminated Sites e. Capacity Building and Strengthening of SEIAAs / SEACs / CPCB / SPCBs / PCCs / Urban Local Bodies (ULBs) f. Payment of Salaries and other emoluments to the Contractual staff. g. Development of Information Technology (IT) enabled systems. h. Conducted studies as directed by forums of law i. Projects related to awareness generation including through eco-clubs j. Administrative expenses relating to management of funds including payment of auditors, consultants and other professional services k. Innovative Technology demonstration projects pertaining to Clean Technology for environment protection. l. Any other purpose as may be considered by the Governing body to be relevant for the protection of environment.		
TOTAL (4+5)			
6.	Total Closing balance available at the end of the year		

Authorized Signatory of the
Central Govt/State Govt./UT Administration

FORM XIII
FORMAT FOR ANNUAL REPORT

SEE RULE 16

Annual Report

as on 31st March 20….

The annual report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities as mentioned at Rule 10K during the previous financial year in the format below:

(Amount in Rs.)

S. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount spent	Reason for shortfall
5.				
6.				
7.				
8.				

Authorized Signatory of the
Central Govt/State Govt./UT Administration

7. After the Appendix A, the following Appendix B shall be inserted:

APPENDIX B

LIST OF PRESENTING OFFICERS

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	The Member Secretary of the Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas or his authorized representative.	Jurisdiction of CAQM
2.	The Member Secretary of the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water (Presentation and Control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or his authorized representative.	Whole of India
3.	The Member Secretary of the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and under Section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative.	Whole of State
4.	The Member Secretary of the Committee notified under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) in respect of Union Territories or his authorized representative.	Whole of Union Territory
5.	Regional Director of the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) or his authorized representative.	Within their respective Region

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
6.	Regional Officers of the State Pollution Control Board who have been delegated powers under Section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative	Area as laid down by the State Board
7.	Regional Officers of the Pollution Control Committee who have been delegated powers under Section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative	Area as laid down by the Pollution Control Committee
8.	Scientist 'B', 'C' 'D', 'E' 'F' and 'G', of Regional Offices (ROs) and Sub Regional Offices (SROs) of the MoEF&CC.	Respective jurisdictions of the ROs and SROs
9.	Collector or his authorized representative.	Whole of Revenue District
10.	Sub-Divisional Magistrate or his authorized representative.	Whole of Sub-Division.
11.	Any regional / Zonal Officers or a Director in Charge of a Region / Zone of the Ganga Project Directorate or his authorized representative.	Zonal / Regional area as laid down by the Ganga Project Directorate
12.	Any Deputy Secretary, Director, Joint Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Ganga Project Directions or his authorized representative.	Whole of the State in which the Ganga Action Plan in under implementation
13.	Seed Inspector (s) or his authorized representative.	Area (s) as laid down by the respective State Government. In the Notification issued under Clause 12 of the Seed (Control) Order, 1983

[F. No. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Directorate of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.19 22:49:07 +05'30'